

बिहार सरकार
समहारणालय, औरंगाबाद।
(जिला बाल संरक्षण इकाई)

नियोजन सूचना विज्ञापन सं०-02/2026

निदेशक, समाज कल्याण-सह-उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति, बिहार, पटना का पत्रांक:-02/रा0 बा0स0स0(स्था0)05 / 2023-365, दिनांक:-02.03.2026, से प्राप्त निदेश के आलोक में बालगृह (बालक) यूनिट-01 वृहद आश्रय गृह, औरंगाबाद में निम्नांकित पदों पर विनिर्धारित मानदेय एवं संविदा आधारित अस्थाई नियोजन हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है:-

SI No	Name of Post	Total Post	Qualification	Desired Competencies/ Experience	Age Minimum & Maximum	Salary
1	Educator (Part Time)	01 (UR-1)	10+2 with Diploma in elementary education (D.El.Ed.) or B.Ed. from recognized University.	At least one year experience of teaching in a school or institution	18 to 37 Years	10,000/-
2	Art & Craft Cum Music Teacher (Part Time)	01 (UR-1)	10+2 with Diploma/Degree in Art & Craft/Music from recognized University.	At least one year experience in a school or institution.	18 to 37 Years	10,000/-
3	PT Instructor cum Yoga Trainer (Part Time)	01 (UR-1)	10+2 with Diploma/Degree in Yoga/Sports/Athletics/ physical education.	At least one year experience in a school or institution.	18 to 37 Years	10,000/-
4	Cook	01 (EBC-1)	8 th pass	At least one year experience in a school or institution.	18 to 37 Years	9,930/-
5	Helper-cum-night watchman	02 (UR-1 EBC-1)	8 th pass	Demonstrable sensitivity to children in difficult circumstances.	18 to 37 Years	7,944/-
6	Housekeeper	01 (UR-1)	8 th pass	Demonstrable sensitivity to children in difficult circumstances.	18 to 37 Years	7,944/-
For Special unit						
7	Care Taker-Cum-Vocational instructor	01 (UR-1)	Matriculation with certificate course in vocational trade(Tailoring, Handicraft, mobile repairing, basic computer skill like Data Entry etc.)	A minimum of 1 Year experience working as a vocational trainer/instructor in a school/institution.	18 to 37 Years	9,930/-

1. इच्छुक प्रतिभागी आवेदित पद का उल्लेख करते हुए विहित प्रपत्र में दिनांक:- 07.10.2026 के अप0 05:00 बजे तक आवेदन का मूल प्रति सभी वांछित स्वप्रमाणित दस्तावेज के साथ निबधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, औरंगाबाद, समारणालय परिसर औरंगाबाद पिन-824101, के पता पर आवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त समय-सीमा के पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन का विहित प्रपत्र औरंगाबाद जिला के वेबसाइट aurangabad.bih.nic.in पर प्रदर्शित किया गया है।

2. किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

3. प्रतिभागी आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र इत्यादि की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे।

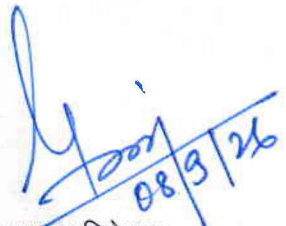
4. उम्र की गणना 01 अप्रैल 2026 से की जाएगी।

5. चयन की प्रक्रिया:- पदवार निर्धारित योग्यता तथा न्यूनतम कार्य अनुभव की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित योग्यता में प्राप्तांक के प्रतिशत, उच्चतर डिग्री हेतु निर्धारित अंक तथा साक्षात्कार के लिये अंकों के वेटेज के आधार पर मेधा सूची का निर्माण कर किया जाएगा। न्यूनतम कार्य अनुभव रखना अनिवार्य होगा लेकिन इसे मेधा सूची हेतु अंक गणना में सम्मिलित नहीं किया

(Handwritten signature)

जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा किसी पद विशेष हेतु निर्धारित विषय विशेष में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जायेगा।

6. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक मेधासूची 60 अंको की बनायी जायेगी जिसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्रतिशत प्राप्तांक हेतु 50 प्रतिशत अंक तथा 10 (5+5) अंक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उसी विषय से अधिकतम 02 उच्चतर डिग्री हेतु दिए जायेंगे। उक्त प्रारंभिक मेधासूची से एक निश्चित संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार हेतु 40 अंक निर्धारित किये जाते हैं। अंतिम मेधासूची शैक्षणिक योग्यता एवं साक्षात्कार के अंको को जोड़कर 100 अंको के आधार पर बनायी जायेगी।
7. प्रतिभागी लिफाफा के उपर मोटे अक्षरों में "बाल गृह (बालक), यूनिट-01, वृहद आश्रय गृह, औरंगाबाद मे चयन हेतु आवेदन" तथा आवेदित पद का नाम का उल्लेख करेंगे।
8. प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
9. विज्ञापन से संबंधित विशेष जानकारी, नियोजन की कार्यवाही एवं सूचना हेतु औरंगाबाद जिला के वेबसाइट aurangabad.bih.nic.in का अवलोकन करते रहेंगे।
10. अनुबंध पर नियोजित कर्मी सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे तथा सरकारी सुविधा के अधिकारी नहीं होंगे। बिना कारण बताए कभी भी उनके अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
11. विभाग द्वारा भविष्य में इन पदों पर स्थाई नियुक्ति होने पर यह नियोजन स्वतः समाप्त माना जाएगा साथ ही, विभाग द्वारा उक्त गृह के संचालन के संबंध में किसी भी तरह के लिये गये निर्णय/निदेश से उपरोक्त नियोजन प्रभावित होगा।
12. केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पंजीकृत वैध संस्थानों द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अद्यतन 06 माह का वेतन/पारिश्रमिक/ मानदेय भुगतान के साक्ष्य के रूप में बैंक स्टेटमेंट काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा।
13. केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा पद समाप्त किये जाने या योजना मद में आवंटन समाप्त किये जाने पर पद स्वतः समाप्त माना जायेगा।
14. नियोजन के बाद शैक्षणिक/अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने की स्थिति में मानदेय के रूप में दी गयी राशि वसूल की जायेगी तथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
15. चयनित कर्मियों को संस्थान में नियमानुसार आवासन सुनिश्चित करना होगा।
16. आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार जिला नियोजन समिति, औरंगाबाद के पास सुरक्षित होगा एवं जिला नियोजन समिति, औरंगाबाद इस विज्ञापन को बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकती है।
17. आरक्षित कोटि हेतु अधिकतम उम्र सिमा Annexure:- 1 पर संलग्न है।


सहस्यक निदेशक,
जिला बाल संरक्षण इकाई,
औरंगाबाद।

(ii) उम्र सीमा—

न्यूनतम उम्र सीमा— इंटर स्तर तक के पदों के लिये न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष तथा स्नातक एवं उच्च स्तरीय पदों के लिये न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होगी।

अधिकतम उम्र सीमा—

संविदा पर नियोजन हेतु अधिकतम आयु सीमा—

- अनारक्षित वर्ग (पुरुष) — 37 वर्ष
- अनारक्षित वर्ग (महिला) — 40 वर्ष
- पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) — 40 वर्ष
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति (पुरुष एवं महिला) — 42 वर्ष

(समय-समय पर सामान्य प्रशासन विभाग के मानकों के अनुरूप उपर्युक्त उम्र सीमा परिवर्तनशील होगी)

- राज्य बाल संरक्षण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल देख रेख संस्थानों में कार्यरत वैसे कर्मी जो विज्ञापित पद के विरुद्ध योग्यता रखते हैं, उन्हें आवेदन करने हेतु उक्त संस्थानों में उनके नियोजन के उपरान्त किए गए कार्यावधि की समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जाएगी। उम्र छूट का यह लाभ सिर्फ उसी पद पर नियोजन के विरुद्ध दिया जायेगा जिस पद पर पूर्व नियोजन के दौरान कार्य किया गया है। किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जाएगा।

[Handwritten signature]
08/9/2016

समाहरणालय, औरंगाबाद
जिला बाल संरक्षण इकाई
(विज्ञापन संख्या- 02/2026)

(कार्यालय द्वारा भरा जाएगा-अनुक्रमांक-.....आवेदन-पत्र प्राप्ति की तिथि.....)

1. आवेदित पद का नाम-.....
2. अभ्यर्थी का नाम-.....

(क) हिन्दी में-.....

(ख) अंग्रेजी में (बड़े अक्षरों में)-.....

3. पिता/पति का नाम-.....

4. माता का नाम-.....

5. लिंग-.....

6. जन्म तिथि-.....

7. मोबाइल नं०-.....

8. ई-मेल आईडी-.....

9. कोटि (अनारक्षित/अ0पि0वर्ग/पिछड़ा वर्ग
/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति-.....

10. स्थायी पता-.....

ग्राम:-.....पोस्ट:-.....थाना:-.....

जिला:-.....राज्य:-.....पिनकोड:-.....

मो० नं०:-.....ई-मेल:-.....

11. पत्राचार का पता-.....

ग्राम:-.....पोस्ट:-.....थाना:-.....

जिला:-.....राज्य:-.....पिनकोड:-.....

मो०नं०:-.....ई-मेल:-.....

12. शैक्षणिक योग्यता-

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	विषय	उत्तीर्ण वर्ष	विद्यालय/महाविद्यालय का नाम	प्राप्तांक	प्राप्तांक %
01	मैट्रिकुलेशन					
02	इन्टरमीडिएट					
03	स्नातक					
04	स्नातकोत्तर					
05	डिप्लोमा					
06	अन्य					

13. कार्यनुभव विवरण-

क्र.सं.	संस्थान का नाम	पदनाम	कार्य अवधि	कार्य विवरणी	अभ्युक्ति

-: घोषणा :-

मैं.....एतद द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण और सही है। मैं जानता/जानती हूँ कि नियोजन के किसी भी चरण में मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी/नियोजन बिना किसी सूचना के रद्द कर दी जाएगी।

स्थल-

हस्ताक्षर

दिनांक-

(1) हिन्दी में-

(2) अंग्रेजी में-